रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13092023-248691
CG-DL-E-13092023-248691

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3874] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 2023/भाद्र 22, 1945
No. 3874] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 2023/BHADRA 22, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2023

का.आ. 4036(अ).— अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, को पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को लिखित रूप में या मंत्रालय के ई-मेल esz-mef@nic.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

और, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना (गंगौ) अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना और छतरपुर जिले में स्थित हैं और दोनों संरक्षित क्षेत्र मिलकर पन्ना बाघ रिज़र्व (इसके बाद बाघ रिज़र्व के रूप में संदर्भित) का कोर क्षेत्र बनाते है जो कि 576.13 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और पन्ना (गंगौ) अभयारण्य के कोर क्षेत्र से सटा हुआ भाग 45.07 वर्ग किलोमीटर है।

और, पन्ना बाघ रिज़र्व का कुल क्षेत्रफल 1643.17 वर्ग किलोमीटर है जिसमें बाघ रिज़र्व का कोर क्षेत्र 576.13 वर्ग किलोमीटर है और 1021.97 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित बफर क्षेत्र है।

और, बाघ रिज़र्व से फूल पौधों की 192 प्रजातियां, स्तनधारियों की 20 प्रजातियां, पक्षियों की 181 प्रजातियां और तितलियों की कई महत्वपूर्ण प्रजातियां अभिलिखित की गई है।

और, बाघ रिज़र्व और समीपवर्ती क्षेत्र में दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न वन्यजीव प्रजातियों में सांभर (सर्वस यूनिकलर निग्रा), स्लॉथ बियर (मेलुर्सुस उर्सिनस), तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस), चौसींगा मृग (टेट्रासेरस क्वाड्रिकोर्निस), स्ट्रीपड हाइना (हाइना हाइना), भारतीय जंगली कुत्ता (कुओन अल्पाइन), भारतीय पैंगोलिन (मैनिस क्रैसिकाउडाटा), बाघ (पैंथेरा टिग्रिस) का प्राकृतिक वास है;

और, पन्ना बाघ रिज़र्व और समीपवर्ती क्षेत्र में वनस्पति की दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियों में बीजा/बीजासाल (प्टेरोकार्पस मार्सुपियम), भिर्रा/भिरहा (क्लोरोक्सिलॉन स्वेटेनी) शामिल हैं।

और, पन्ना बाघ रिज़र्व और समीपवर्ती क्षेत्र में पक्षियों की दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटापन्न प्रजातियोँ में एशियन वूलिनेक (सिकोनिया), लेस्सर एडजुटेंट स्टॉर्क (लेप्टोपटिलोस जावानिकुस), सामान्य पोचार्ड (अयथ्या फ़रीना), ब्लैक-हेडेड इबिस (थ्रेस्कियोर्निस मेलानसेफालस), ग्रे-हेडेड इबिस (थ्रेसकोर्निस मेलानोसेफालुस), ग्रेट स्टोन प्लोवर (बीच थिक-नी) (एसाकस मैग्निरोस्ट्रिस), रिवर टर्न (स्टर्ना क्रुरेंटियो), अलेक्जेंड्राइन पाराकीट (सिटलाकुला यूपोट्रिया), पाइड कुक्को (क्लोमाटोर जैकोबिनस), रेड-हेडेड (राजा) गिद्ध (सरकोजिप्स कालवेस), भारतीय (लोंग-बिल्लड) गिद्ध (जिप्स इंडिकस), वाईट-रूमेड गिद्ध (जिप्स बेंगालेंसिस); और प्रवासी गिद्ध हिमालयी गिद्ध या हिमालयन ग्रिफ़ॉन गिद्ध (जिप्स हिमालयेंसिस), यूरोपीय ग्रिफ़ॉन गिद्ध (जी. फुलवुस) शामिल हैं।

और, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना (गंगौ) अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैराग्राफ 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना बाघ रिज़र्व (पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना (गंगौ) वन्यजीव अभयारण्य) की सीमा के चारों ओर 250 मीटर से 2 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पन्ना बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.-** (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार पन्ना बाघ रिज़र्व (पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना (गंगौ) वन्यजीव अभयारण्य) की सीमा के आसपास 250 मीटर से 2 किलोमीटर तक होगा और इसमें 1081.48 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल शामिल है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **अनुलग्नक –I** में दिया गया है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर सहित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मानचित्र **अनुलग्नक –II** के रूप में संलग्न हैं।

(4) पन्ना बाघ रिज़र्व और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांकों को **अनुलग्नक –III** के रूप में संलग्न किया गया हैं।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत ग्रामों की सूची **अनुलग्नक -IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी जिसे राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा केंद्रीय और राज्य के प्रासंगिक कानूनों के अनुरूप और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी विचारों को एकीकृत करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाई जाएगी, अर्थात्:-

i. पर्यावरण;
ii. वन और वन्यजीव;
iii. कृषि;
iv. राजस्व;
v. शहरी विकास;
vi. पर्यटन;
vii. ग्रामीण विकास;
viii. सिचांई और बाढ़ नियंत्रण;
ix. नगरपालिका;
x. पंचायती राज;
xi. लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों और सहायक मानचित्र के साथ सीमांकन किया जाएगा। योजना को वर्तमान एवं प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले मानचित्रों द्वारा अभिपुष्ट किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा तथा स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास भी सुनिश्चित एवं प्रोतसाहित किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना के साथ ही पूरी की जाएगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) भू-उपयोग.– (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का प्रमुख वृहद वाणिज्यिक या प्रमुख आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या अपवर्तित नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का अपवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमत किया जाएगा जैसे:-

i. विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;

ii. बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

iii. प्रदूषण न फैलाने वाले लघु उद्योग;

iv. कुटीर उद्योग सहित ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा आवास; और

v. पैराग्राफ-4 में उल्लिखित प्रवर्तित क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त कानून, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए आदिवासियों से संबंधित भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का अपवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के कार्यकलापों से पुन: वनीकरण किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) प्राकृतिक जल स्रोत.- सभी प्राकृतिक झरनों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश इस रीति से तैयार किए जाएंगे कि उसमें ऐसे क्षेत्रों में या उसके पास विकास क्रियाकलापों जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं, को प्रतिषिद्ध किया जा सके।

(3) पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन.–

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना, राज्य के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुमत नहीं किया जाएगाः

परंतु यह, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुमत होगी;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुमत किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का संन्निर्माण अनुमत नहीं होगा।

(4) प्राकृतिक विरासत.– पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिज़र्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण.- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और उसमें संशोधन के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा ।

(7) वायु प्रदूषण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) बहिस्राव का निस्सरण.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में शोधित बहिस्राव का निस्सरण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषकों के निस्सरण के लिए सामान्य मानकों और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए नियम या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) ठोस अपशिष्ट.- ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(10) जैव चिकित्सा अपशिष्ट.- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016, समय-समय पर यथा संशोधित के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

(11) प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) ई–अपशिष्ट.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) सड़क-यातायात.- सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) वाहन जनित प्रदूषण.- वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी आदि ।

(16) औद्योगिक ईकाइयां.-

(क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.- पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची-

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों जिसमें तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (ईआईए), 2006 शामिल है सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अन्य लागू नियमों के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 4 अगस्त, 2006 के आदेश और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि

		अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सरण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुमत नहीं होगा ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
8.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और दिशा निर्देशों, जो भी लागू हो के अनुरूप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुमत नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी: परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी समय-समय पर संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों का विनिर्माण करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू कानूनों के अधीन विनियमित होगा ।

13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू कानूनों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
14.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू कानूनों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू कानूनों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू कानूनों के अधीन विनियमित होगा ।
17.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू कानूनों के अधीन विनियमित होगा ।
18.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन ।	लागू कानूनों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
19.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू कानूनों के अधीन अनुमत होंगे।
20.	फर्मों, कॉर्पोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन और पोल्ट्री फार्म की स्थापना।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू कानूनों के अधीन अनुमत होंगे (अन्यथा किए गए प्रावधान को छोड़कर)।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्राव का निस्सरण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिस्राव के निस्सरण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिस्राव का निस्सरण लागू कानूनों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू कानूनों के अधीन विनियमित होगा ।
23.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से निगरानी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू कानूनों के अधीन विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू कानूनों के अधीन विनियमित होगा ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू कानूनों के अधीन विनियमित होगा ।
27.	पॉलीथिन बैग का प्रयोग।	लागू कानूनों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग ।	लागू कानूनों के अधीन विनियमित होगा ।
		ग.संवर्धित क्रियाकलाप
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	बागान लगाना और जड़ी -बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

36.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.-

इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए केन्द्रीय सरकार एक निगरानी समिति का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, नामत:

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
1.	प्रभागीय आयुक्त, सागर	अध्यक्ष;
2.	जिला क्लेकटर, पन्ना/छतरपुर/दमोह जिला	सदस्य;
3.	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सागर	सदस्य;
4.	अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य विभाग, सागर	सदस्य;
5.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, पन्ना/छतरपुर/दमोह	सदस्य;
6.	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि जिसे प्रत्येक मामले में तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नामित किया जाएगा	सदस्य;
7.	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में एक विशेषज्ञ जिसे प्रत्येक मामले में तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नामित किया जाएगा।	सदस्य;
8.	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ जिसे प्रत्येक मामले में तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नामित किया जाएगा।	सदस्य;
9.	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के जिला अधिकारी	सदस्य;
10.	क्षेत्रीय अधिकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर	सदस्य;
11.	क्षेत्र निदेशक, पन्ना बाघ रिजर्व, पन्ना	सदस्य-सचिव।

6. निबंधन और कार्य:-

(1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की छानबीन करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, और पर्यावरण, वन मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं और यथास्थिति, जलवायु परिवर्तन या राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के लिए होंगे।

(2) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले, उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक साइट-विशिष्ट की स्थितियों के आधार पर जांच की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) निगरानी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप-वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) निगरानी समिति मामले दर मामले के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए अपेक्षानुसार आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक इस अधिसूचना को राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक को **अनुलग्नक -V** में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय:- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश:- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/7/2021-ईएसजेड]

डॉ एस केरकेट्टा, वैज्ञानिक-जी

अनुलग्नक – I

<u>पन्ना बाघ रिज़र्व की सीमा का विवरण</u>

उत्तर - पुखराहा नाला तक केन नदी जो की छतरपुर वन प्रभाग के सेलोने सलिया संरक्षित वन खंड के कम्पार्टमेंट सं. 552,553,550,549,545 की उत्तरी सीमा; केन नदी के दोनों तरफ उत्तर पन्ना वन प्रभाग के पीपरटोला बाडोरे रिज़र्व वन खंड का सीमा स्तंभ सं. 1 से 67, छतरपुर वन प्रभाग के बरबसपुर संरक्षित वन खंड की उत्तरी सीमा रेखा; छतरपुर वन प्रभाग के पट्टन 'क' एवं 'ख' संरक्षित वन खंड की मध्य सीमा रेखा; छतरपुर वन प्रभाग के पट्टन 'क' वन खंड की उत्तरी सीमा रेखा; केन नदी तक अर्जुनहाई संरक्षित वन खंड की उत्तरी सीमा रेखा; बहरगंज ग्राम (केन नदी के सम्मुख दिशा) की आंतरिक सीमा रेखा के सीमा स्तंभ सं. 7 से 21; मडला ग्राम की आंतरिक सीमा रेखा बनाते हैं; पन्ना-छतरपुर राज्य राजमार्ग से केन नदी जिसमें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के पीपरटोला बाडोरे रिज़र्व वन खंड की सीमा स्तंभ सं. 146 से 178 शामिल है; पन्ना छतरपुर राज्य राजमार्ग जो की कम्पार्टमेंट सं. 234 और 242 कि पश्चिमी सीमा; हरसा रिज़र्व वन खंड स्तंभ सं. 55 से 205 कम्पार्टमेंट सं. 234, 241, 246, 247, 248, 262, 263, 264 की कट रेखा पश्चिमी एवं उत्तरी सीमा बनाती है और मडला, नेहारी ग्राम को छोड़ा गया है। बगोहन; हरसा उत्तरी सीमा को पूरा करते हैं।

पूर्व - पन्ना-छतरपुर राज्य राजमार्ग तक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान/पन्ना (गंगौ) अभयारण्य के हरसा वन खंड के सीमा रेखा स्तंभ सं. 30 से 54 जो की पीपरटोला-बाडोरे वन खंड के सीमा रेखा स्तंभ सं. 186 से 179 बनती है, कट रेखा जो

पीपरटोला-बाडोरे वन खंड से होते हुए और कम्पार्टमेंट सं. 252, 253 एवं 254 की वन सीमा; कम्पार्टमेंट सं. 244, 245 की पूर्वी सीमा उमरावन ग्राम की उत्तर-पूर्वी सीमा रेखा स्तंभ सं. 1 से 14 (वामावर्त); बाडोरे ग्राम के आंतरिक सीमा स्तंभ सं. 26 से 23 (सम्मुख दिशा); कम्पार्टमेंट सं. 240 की दक्षिणी सीमा बनाती है। होनोटा ग्राम की आंतरिक सीमा जो की 359, 532, 535, 537,541 केमासन नाला तक मघगवन नाला सहित कम्पार्टमेंट सं. 540 की सीमा, कम्पार्टमेंट सं. 544 की दक्षिण-पूर्वी सीमा बनाती है, कच्चा नाला जो की कम्पार्टमेंट सं. 547 एवं 548 की सीमा और पीपरटोला-बाडोरे रिज़र्व वन खंड के स्तंभ सं. 241 तक; पीपरटोला बड़ोरे रिज़र्व वन खंड के सीमा रेखा स्तंभ सं. 241 से 243 बनती है। जरधोवा ग्राम की दक्षिणी सीमा जो की स्तंभ सं. 35 से 22 जाती है। जरधोवा नाला जो की कम्पार्टमेंट सं. 392 की दक्षिणी सीमा बनाती है और पन्ना-कटनी सड़क और रामपुर-मझोली वन सड़क को पार करके जाती है।

दक्षिण- रामपुर ग्राम के आंतरिक सीमांकन रेखा कम्पार्टमेंट सं. 1365,1364 की उत्तरी सीमा है। कंड़वाहा, रामपुर-गहादारा वन सड़क कुंदन ग्राम की आंतरिक रेखा कम्पार्टमेंट सं.1352, 1346, 1341, 1334 की उत्तरी सीमा गहादारा ग्राम की आंतरिक सीमांकन रेखा कम्पार्टमेंट 1335, 1337, 1327 की सीमा, बीलबाटा और कटरी ग्राम की आंतरिक सीमांकन रेखा कम्पार्टमेंट सं. 1305, 1304, मझोली डोंड़ी ग्राम तक रामपुर और पीपरटोला वन खंड की विभाजित रेखा बनाती है और केन नदी तक पीपरटोला बदौर और अमनगंज खंड की सामान्य सीमा हिनोटा श्रेणी की सीमा बनाती है।

पश्चिम- किशनगढ़ सुरक्षित वन खंड के कम्पार्टमेंट सं. 485 एवं 486 की पूर्वी रेखा है बुराना नदी, ककरा नाला कम्पार्टमेंट सं. 493, 496 की पूर्व सीमा है। ककरा ग्राम की उत्तर पश्चिमी सीमा रेखा है। किशनगढ़ संरक्षित वन खंड की सीमा रेखा जो की कम्पार्टमेंट सं. 504, 507, 508 की दक्षिणी सीमा बनाती है, कम्पार्टमेंट सं. 508 से होते हुए कटरेखा सीयामारी नदी से मिलती है और इसके बाद कार्ट ट्रक जो की बृजपुर से सूकवाहा तक जाती है और छतरपुर वन प्रभाग के सूकवाहा ग्राम एवं पलकोहा संरक्षित वन खंड के सीयामारी नदी की सीमा रेखा बनाती है। कट रेखा जो की कम्पार्टमेंट सं. 532 को काटकर सूकवाहा नाला से आरंभ होती है और कम्पार्टमेंट सं. 535, 533 की पूर्वी सीमा बनाती है और इसके बाद कम्पार्टमेंट सं. 532 एवं 552 से होते हुए पूखराहा नाला से मिलती है।

पन्ना बाघ रिज़र्व (पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना (गंगौ) वन्यजीव अभयारण्य के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर - पन्ना बाघ रिज़र्व के बफर जोन के कम्पार्टमेंट सं. 531 से भवानीपुर सड़क सहित कम्पार्टमेंट सं. 558 से कम्पार्टमेंट सं. 556 के पूर्व से कम्पार्टमेंट सं. 547 के करोनदिया और सीलोनी ग्राम तक और कम्पार्टमेंट सं. 671 से मझोटा, रंगावन, दूपरिया पीपरिया, अवधपुरा ग्राम की सीमा है और एन एच 75 छतरपुर प्रभाग के कम्पार्टमेंट सं. 682 के खंड खाहराई, बगुलिया ग्राम के केन नदी की सीमा और कम्पार्टमेंट सं. 220 की उत्तरी सीमा से कम्पार्टमेंट सीमा के 287, 286 बी और 285 के सालिया ग्राम के केन नदी को पार करके जाती है।

पूर्व - उत्तर पन्ना प्रभाग के कम्पार्टमेंट सं. 296, 297, 298, 299, 300, 301 (भाग) के बफर जोन के कम्पार्टमेंट सं. 220 की दक्षिण पूर्व और पन्ना (गंगौ) अभयारण्य के पूर्व सीमा के मनौर, जरौपुर ग्राम की परिधि 7.3 किलोमीटर, 250 मीटर तक है और कम्पार्टमेंट सं. 378 से कम्पार्टमेंट सं. 221 की सीमा है।

दक्षिण - मरीयोदा और धूला दहरिया ग्राम से कम्पार्टमेंट सं. 360 से बफर क्षेत्र के कम्पार्टमेंट सं. 221 की दक्षिणी सीमा है।

पश्चिम - दमोह प्रभाग के कम्पार्टमेंट सं. 330 की पश्चिम सीमा से दमोह प्रभाग की कम्पार्टमेंट सं. 361 की पश्चिमी सीमा है।

अनुलग्नक – II

भारतीय सर्वेक्षण टोपोशीट पर प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर सहित पन्ना बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

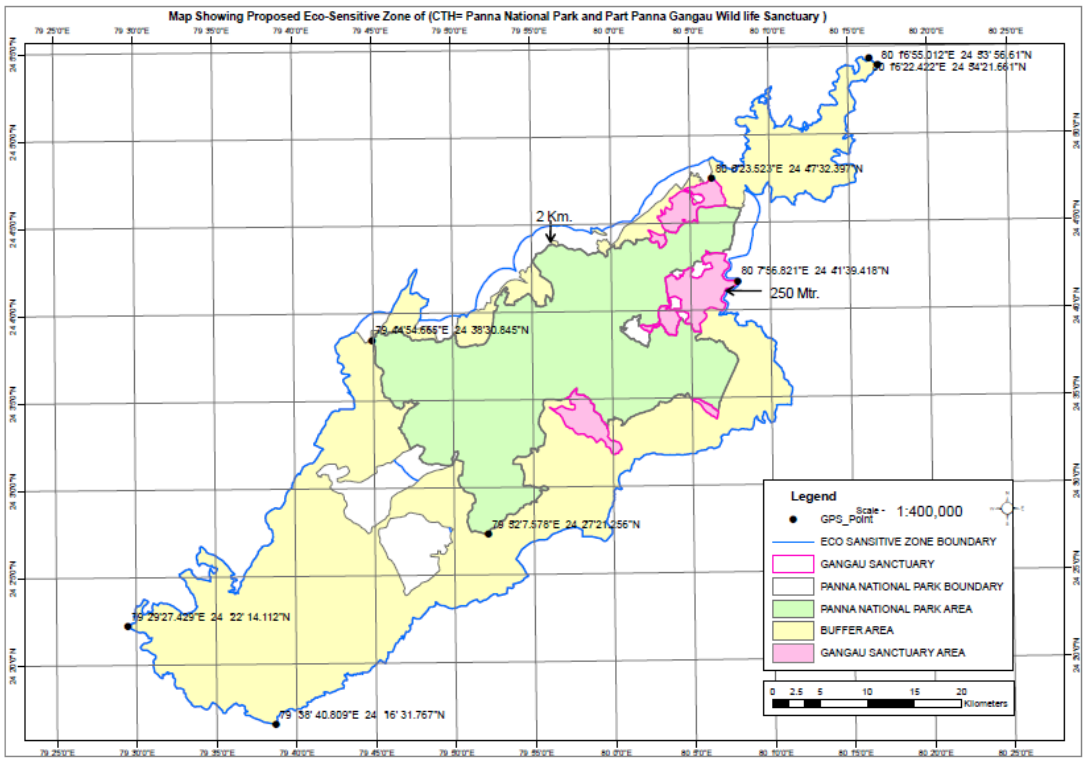

अनुलग्नक -III

सारणी क: मानचित्र पर दर्शाने वाले संरक्षित क्षेत्र की सीमा सहित मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

प्रभाग का नाम	दिशा	देशांतर	अक्षांश
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान/पन्ना (गंगौ) अभयारण्य	उत्तर	80⁰06’23.523”पू	24⁰47’32.39”उ
	पूर्व	80⁰07’56.821” पू	24⁰41’39.418”उ
	दक्षिण	79⁰52’7.578” पू	24⁰27’21.256”उ
	पश्चिम	79⁰44’54.665” पू	24⁰38’30.845”उ

सारणी ख: मानचित्र पर दर्शाये गए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के संरक्षित क्षेत्र की सीमा सहित मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

प्रभाग का नाम	दिशा	देशांतर	अक्षांश
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान/पन्ना (गंगौ) अभयारण्य	उत्तर	80⁰15’53.497” पू	24⁰54’23.784”उ
	पूर्व	80⁰16’54.385” पू	24⁰53’57.227”उ
	दक्षिण	79⁰38’41.364” पू	24⁰16’32.970”उ
	पश्चिम	79⁰20’27.361” पू	24⁰22’14.245”उ

अनुलग्नक-IV

भू-निर्देशांक सहित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	प्रभाग का नाम	जिला	ग्राम का नाम	देशांतर	अक्षांश
1	बफर जोन	पन्ना	जरधोवा	80⁰ 06’ 08.992”	24⁰ 39’ 0.461”
2	बफर जोन	पन्ना	अकोला	80⁰ 08’ 12.899”	24⁰ 37’ 43.376”
3	बफर जोन	पन्ना	दहलानचौकी	80⁰ 13’ 17.756”	24⁰ 48’ 12.048”
4	बफर जोन	पन्ना	खजूरी कुदर	80⁰ 11’ 23.508”	24⁰ 47’ 41.081”
5	बफर जोन	पन्ना	हरसा	80⁰ 05’ 34.288”	24⁰ 46’ 24.612”
6	बफर जोन	पन्ना	बगोंहा	80⁰ 03’ 32.014”	24⁰ 46’ 09.455”
7	बफर जोन	पन्ना	नाहरी	80⁰ 02’ 10.001”	24⁰ 45’ 20.812”
8	बफर जोन	पन्ना	मडला	80⁰ 01’ 8.159”	24⁰ 44’ 17.492”
9	बफर जोन	पन्ना	लालार	79⁰ 54’ 27.309”	24⁰ 41’ 2.785”
10	बफर जोन	पन्ना	टपरियां	79⁰ 53’ 38.115”	24⁰ 40’ 41.942”
11	बफर जोन	पन्ना	रामपुरा	80⁰ 04’ 24.357”	24⁰ 35’ 12.516”
12	बफर जोन	पन्ना	कटरी बिलहटा	79⁰ 56’ 18.752”	24⁰ 34’ 49.434”
13	बफर जोन	पन्ना	कूदन	80⁰ 0’ 7.446”	24⁰ 33’ 46.526”
14	बफर जोन	पन्ना	कंदवाहा	80⁰ 03’ 0.465”	24⁰ 34’ 43.848”
15	बफर जोन	पन्ना	गहदरा	79⁰ 58’ 40.226”	24⁰ 32’ 49.642”
16	बफर जोन	पन्ना	कोनी	79⁰ 55’ 59.701”	24⁰ 33 27.06”
17	बफर जोन	पन्ना	मंझौली	79⁰ 55’ 32.518”	24⁰ 32’ 15.776”
18	बफर जोन	पन्ना	मरहा	79⁰ 56’ 0.625”	24⁰ 31’ 36.274”
19	बफर जोन	पन्ना	खमरी	79⁰ 54’ 44.166”	24⁰ 30’ 54.378”
20	बफर जोन	पन्ना	काक्रामुतुवा	79⁰ 58’ 14.563”	24⁰ 29’ 39.318”
21	बफर जोन	पन्ना	कचनारी	79⁰ 58’ 59.414”	24⁰ 30’ 18.761”
22	बफर जोन	पन्ना	चेनैन	80⁰ 02’ 10.323”	24⁰ 44’ 49.568”
23	बफर जोन	पन्ना	खाद कुरई	80⁰ 01’ 52.525”	24⁰ 45’ 54.266”
24	बफर जोन	पन्ना	राजपुर	80⁰ 03’ 11.009”	24⁰ 46’ 32.970”
25	बफर जोन	पन्ना	बुगालिया	80⁰ 02’ 53.542”	24⁰ 47’ 05.541”
26	बफर जोन	पन्ना	सलैया	80⁰ 05’ 17.717”	24⁰ 48’ 19.070”
27	बफर जोन	पन्ना	मनोर	80⁰ 07’ 35.538”	24⁰ 42’ 55.015”
28	बफर जोन	छतरपुर	पाटन	79⁰ 55’ 13.214”	24⁰ 42’ 2.875”
29	बफर जोन	छतरपुर	बरबसपुरा	79⁰ 56’ 9.05”	24⁰ 41’ 9.333”
30	बफर जोन	छतरपुर	बहारपुरा	79⁰ 54’ 25.517”	24⁰ 42’ 55.305”
31	बफर जोन	छतरपुर	भुसोर	79⁰ 51’ 32.067	24⁰ 39’ 19.139”
32	बफर जोन	छतरपुर	सिलोन	79⁰ 49’ 51.7”	24⁰ 39’ 38.139”
33	बफर जोन	छतरपुर	कवार	79⁰ 48’ 46.472”	24⁰ 39’ 17.06”

34	बफर जोन	छतरपुर	करौंदिया	79⁰ 48’ 1.422”	24⁰ 39’ 305”
35	बफर जोन	छतरपुर	बृजपुरा	79⁰ 47’ 43.704”	24⁰ 32’ 5.731”
36	बफर जोन	छतरपुर	सुकवाहा	79⁰ 45’ 47.554”	24⁰ 33’ 57.219”
37	बफर जोन	छतरपुर	नरौली	79⁰ 49’ 18.446”	24⁰ 31’ 12.218”
38	बफर जोन	छतरपुर	पटोरी	79⁰ 49’ 45.273”	24⁰ 29 9.146”
39	बफर जोन	छतरपुर	पठापुर (ककरा)	79⁰ 49’ 24.156”	24⁰ 30’ 27.784”
40	बफर जोन	छतरपुर	नागदा	79⁰ 38’ 26.47”	24⁰ 23’ 36.004”
41	बफर जोन	छतरपुर	उचरा	79⁰ 41’ 31.784”	24⁰ 24’ 23.502”
42	बफर जोन	छतरपुर	माटीपुरा	79⁰40’ 44.692”	24⁰ 26’ 41.692”
43	बफर जोन	छतरपुर	विनेका	79⁰ 39’ 58.128”	24⁰ 27’ 4.786”
44	बफर जोन	छतरपुर	रायचुर	79⁰ 41’ 58.129”	24⁰ 26’ 0.019”
45	बफर जोन	छतरपुर	सती सूरी	79⁰ 42’ 34.666”	24⁰ 25’ 50702”
46	बफर जोन	छतरपुर	बिला	79⁰ 44’ 06.933”	24⁰ 26’ 18.29”
47	बफर जोन	दमोह	घोघरा	79⁰ 37’ 1.045”	24⁰ 22’ 1.21”
48	बफर जोन	दमोह	कालीबारा	79⁰ 39’ 52.227”	24⁰ 22’ 48.856”
49	बफर जोन	दमोह	जूनेरी	79⁰ 37’ 34.607”	24⁰ 21 35.655”
50	बफर जोन	दमोह	कलकुआ	79⁰ 36’ 25.297”	24⁰ 21 24.139”
51	बफर जोन	दमोह	मजारा	79⁰ 37’ 57.525”	24⁰ 22’ 15.727”
52	बफर जोन	दमोह	बनौली	79⁰ 32’ 35.617”	24⁰ 21’ 20.24”
53	बफर जोन	दमोह	मदनपुरा	79⁰ 33’ 17.661”	24⁰ 19’ 53.908”
54	बफर जोन	दमोह	बछमन	79⁰ 34’ 7.829”	24⁰ 21’ 0.279”
55	बफर जोन	दमोह	उदयपुरा	79⁰ 35’ 35.952”	24⁰ 21’ 26.429”
56	उत्तरी पन्ना	पन्ना	सलैया	80⁰ 05’ 19.003”	24⁰ 45’18.937”
57	छतरपुर	छतरपुर	राजगढ़	79⁰ 57’22.196”	24⁰ 43’ 57.949”
58	छतरपुर	छतरपुर	टपरियां	79⁰ 58’ 34.429”	24⁰ 43’ 33.033”
59	छतरपुर	छतरपुर	अर्जुनहाई	79⁰ 58’ 54.268”	24⁰ 43’ 50.428”
60	छतरपुर	छतरपुर	दुपरिया	79⁰ 52’ 58.040”	24⁰ 42’ 04.647”
61	छतरपुर	छतरपुर	भवानीपुरा	79⁰ 48’ 57.322”	24⁰ 40’ 34.630”
62	छतरपुर	छतरपुर	डोंगरिया	79⁰ 43’ 37.264”	24⁰ 40’ 23.930”
63	छतरपुर	छतरपुर	नैगुवां	79⁰ 47’ 31.390”	24⁰ 31’ 15.459”
64	छतरपुर	छतरपुर	मझौता	79⁰ 51’ 35.144”	24⁰ 40’ 18.242”
65	छतरपुर	छतरपुर	रंगौआं	79⁰ 52’ 07.236”	24⁰ 41’ 37.078”
66	छतरपुर	छतरपुर	पिपरा	79⁰ 54’ 31.092”	24⁰ 44’ 0.155”
67	छतरपुर	छतरपुर	अवधपुरा	79⁰ 56’ 39.796”	24⁰ 44’ 52.181”

अनुलग्नक -V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र : -

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत: कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निपटाए गए मामलों का सार। विवरण अनुलग्नक के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतु से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2023

S.O. 4036(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

DRAFT NOTIFICATION

WHEREAS, the Panna National Park and Panna (Gangau) Sanctuary are located in Panna and Chhatarpur district in the State of Madhya Pradesh and both the protected Areas together constitute the core area of the Panna Tiger Reserve (hereinafter referred to as Tiger Reserve) which is spread over 576.13 square kilometers and part of Panna (Gangau) Sanctuary contiguous to core area is 45.07 square kilometers.

AND WHEREAS, the Panna Tiger Reserve is spread over an area of 1643.17 square kilometers of which 576.13 square kilometers is core area of the Tiger Reserve and 1021.97 square kilometers is notified buffer area.

AND WHEREAS, 192 species of flowering plants, 20 species of mammals, 181 species of birds and many important species of butterflies have been recorded from the Tiger Reserve;

AND WHEREAS, the Tiger Reserve and the adjoining area is home to Wildlife comprising Rare, Endangered and Threatened species of Sambar (*Cervus unicolor nigra*), Sloth Bear (*Melursus ursinus*) , Leopard (*Panthera pardus*), Four-horned antelope (*Tetracerus quadricornis*), Striped Hyaena (*Hyaena hyaena*), Indian Wild Dog (*Cuon alpines*), Indian Pangolin (*Manis crassicaudata*), Tiger (*Panthera tigris*);

AND WHEREAS, the Panna Tiger Reserve and the adjoining area is having Rare Endangered and Threatened species of flora including Beeja/Beejasal (*Pterocarpus marsupium*), Bhirra/Bhirha (*Chloroxylon swetenii*).

AND WHEREAS, the Panna Tiger Reserve and the adjoining area comprises of Rare, Endangered and Threatened species of birds including Asian woolyneck (*ciconia*), Lesser Adjutant Stork (*Leptoptilos javanicus*), Common Pochard (*Aythya farina*), Black-headed Ibis (*Threskiornis melanacephalus*), Grey-headed Ibis (*Threskiornis melanocephalus*), Great Stone Plover (Beach Thick-Knee) (*Esacus magnirostris*), River Tern (*Sterna qurantio*), Alexandrine Parakeet (*Psitlacula eupotria*), Pied Cucko (*Clomator jacobinus*), Red-headed (king) Vulture (*Sarcogyps calves*), Indian (long-billed) Vulture (*Gyps indicus*), White-rumed Vulture (*Gyps bengalensis*); and find migratory vulture Himalayan vulture or Himalayan griffon vulture *(Gyps himalayensis*), European griffon vulture (*G. fulvus*).

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, extent and boundary which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Panna National Park and Panna (Gangau) Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (l) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent of 250 meters to 2 kilometers around the boundary of the Panna Tiger Reserve (Panna National Park and Panna (Gangau) Wildlife Sanctuary) in the State of Madhya Pradesh as the the Panna Tiger Reserve, Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. – (1) the extent of Eco-Sensitive Zone shall be 250 meters to 2 kilometers around the boundary of Panna Tiger Reserve(Panna National Park and Panna (Gangau) Wildlife Sanctuary) and comprising of an area of 1081.48 square kilometers.

(2) The boundary description of Eco-sensitive Zone is at **Annexure- I**

(3) The map of the Eco-Sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II.**

(4) The geo-coordinates of the Panna Tiger Reserve and its Eco-sensitive Zone are given in **Annexure-III**

The list of villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone. –

(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:

i. Environment,
ii. Forest and Wildlife,
iii. Agriculture,
iv. Revenue,
v. Urban Development,
vi. Tourism,
vii. Rural Development,
viii. Irrigation and Flood Control,
ix. Municipality,
x. Panchayati Raj,
xi. Public Works Department,

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture

conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by Maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government. -The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.–

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:

i. Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

ii. Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

iii. Small scale industries not causing pollution;

iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

v. Promoted activities and given under paragraph 4.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs/rivers/ channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Planand the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas

(3) Tourism or Eco-tourism.-

a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

b) the Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests;

c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-Sensitive Zone;

e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-Sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-Sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-Sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.-All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. -Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) Air pollution. -Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and Environment(Protection) Act, 1986 and rules framed thereunder.

(8) Discharge of effluents. - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules framed under the Environment(Protection) Act, 1986 and standards stipulated by State Pollution Control Board whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.-Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. –Bio medical waste management shall be as under:

a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management. - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management. - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The E- Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.

(16) Industrial units. –

a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

b) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the Orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006, 26.04.2023 and 28.04.2023 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UoI in W.P.(C) No.202 of 1995 and in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012, dated 21.04.2014.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities	(a) No New commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, as amended from time to time and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of Trees	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law (Underground cabling may be promoted)
14.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines
16.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ	Regulated under applicable law

Sl. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	
17.	Protection of Hill Slopes and river banks	Regulated under applicable laws
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law.
23.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws
25.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
26.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
28.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
29.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
34.	Agro-Forestry	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals	Shall be actively promoted
36.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted.
39.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification:

For monitoring compliance of the provisions of this notification, the Central Government constitutes a Monitoring Committee comprising of the following namely:-

S.N	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Divisional Commissioner, Sagar	Chairman
2.	District Collector, Panna/Chhatarpur/Damoh district	Member
3.	Superintending Engineer, Public Work Dept. Sagar	Member
4.	Superintending Engineer, Public Health Dept. Sagar	Member
5.	CEO of Zilla Panchayat, Panna/Chhatarpur/Damoh	Member
6.	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of	Member;

	wildlife conservation to be nominated by the State Government for a term not exceeding three years in each case.	
7.	One expert in Biodiversity nominated by the State Government for a term not exceeding three years in each case.	Member;
8.	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State for a term not exceeding three years in each case.	Member;
9.	District Officer of Town and Country Planning Department	Member
10.	Regional Officer Madhya Pradesh Pollution Control Board, Gwalior	Member
11.	Field Director, Panna Tiger Reserve, Panna	Member Secretary

6. Terms and Functions:

(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinize, the activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1553 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro-forma appended at **Annexure V**.

(6) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures: - The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders, Supreme Court, etc.:- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/7/2021-ESZ]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'

Annexure I

BOUNDARY DESCRIPTION OF PANNA TIGER RESERVE

North – Pukhraha Nala upto Ken river which makes the northern boundary of compartment No. 552, 553, 550, 549, 545 of Selone Salaia protected forest block of Chhatarpur forest division; Boundary Pillar No 1 to 67 of Pipartola Badore Reserved Forest block of North Panna Forest division at both sides of Ken River; Northern boundary line of Barbaspura Protected forest block of Chhatarpur Forest division; Middle boundary line of Pattan 'A' & 'B' Protected forest block of Chhatarpur forest Division; Northern boundary

line of Pattan A forest block of Chhatarpur forest division; Northern boundary line of Arjunhai Protected forest block up to Ken river; Boundary Pillar no. 7 to 21 of internal boundary line of Baharganj village (opposite direction of Ken river); Internal boundary line of Madla village; Ken river to Panna-Chhatarpur State Highway in which boundary Pillar No. 146 to 178 of Pipartola Badare Reserved forest block of Panna National Park included; Panna Chhatarpur State Highway which makes the western boundary of compartment No. 234 and 242; cut line of Harsa Reserved Forest block Pillar No. 55 to 205 compartment No. 234, 241, 246, 247, 248, 262, 263, 264 making Western & Northern boundary and excluded villages Madla, Nehari. Bagohan, Harsa completed the Northern boundary.

East - Boundary line Pillar No. 30 to 54 of Harsa Forest block of Patna National Park/Panna (Gangau) Sanctuary up to Pama-Chhatarpur State highway which makes the boundary line Pillar No. 186 to 179 of Pipariola-Badore Forest Block, cut line which passes through Pipariola-Badore Forest Block and makes the forest boundary of compartment No. 252, 253 & 254; North-Eastern boundary line Pillar No 1 to 14 (anticlockwise) of Umravan village Eastern boundary of compartment No, 244, 245. Internal boundary pillar No. 26 to 23 (opposite direction) of Badore village; Southern boundary of compartment No. 240. Internal boundary of village Hinota which makes the boundary of 539, 532, 535, 537, 541. In compatt. No. 540 along Maghgawan Nalla up to Kemasan Nalla, South-eastern boundary of compt. No. 544, Kaccha Nalla which makes the boundary of compt. No. 547 & 548 and is up to pillar No. 241 of Pipartola-Badore reserved forest block; boundary line pillar No. 241 to 243 of Pipartola Badore Reserved forest block. Southern boundary of Jardhova village which goes up to pillar No. 35 to 22. Jardhova Nalla which makes the Southern boundary of Compt. No. 392 and goes up to the cross of Panna-Katni road and Rampura-Majholi forest road.

South - Northern boundary of Compartment No. 1365, 1364 internal demarcation line of village Rampura. Kandwaha, Forest Road Rampura-Gahadara forming the northern boundary of compartment No. 1352. 1346, 1341, 1334 internal line of village Kundan, compartment boundary of 1335, 1337. 1327 internal demarcation line Gahadara village, compartment No. 1305, 1304 internal demarcation line village Bilbata and Katari dividing line of Forest Block Rampura and Pipertola up to Majholi Dondi village and common boundary of Pipertola Badour and Amanganj block up to Ken river forming the boundary of Hinota range.

West - Eastern line of compt. No. 485 & 486 of Kishangarh protected forest block. Burana river, eastern boundary of compt. No. 493, 496, Kakra Nalla. North western boundary line of Kakra village. Boundary line of Kishangarh protected forest block which makes the southern boundary of compt. No. 504, 507, 508, cut line through compt. No. 508 meets Siyamari river and follows the cart track which goes from Brijpur to Sukwaha and makes the boundary line of Siyamari river Sukwaha village & Palkoha protected forest block of Chhatarpur forest division. Cut line which starts from Sukwaha Nalla cuts Compt. No. 532 and makes eastern boundary of Compt. No. 535, 533 and after passing through Comptt. No. 532 & 552 meets Pukhraha Nalla.

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO SENESTIVE ZONE AROUND PANNA TIGER RESERVE (PANNA NATIONAL PARK AND PANNA (GANGAU) WILDLIFE SANCTUARY)

North :- Comptt. no. 531 of buffer zone of Panna Tiger Reserve to comptt. no. 558 along Bhavanipur Road to east of comptt. no. 556 to village Karondiya and Silon to comptt. no. 547 and boundary of village Majhota, Rangawan, Dupariya Piparia, Awadhpura to comptt. no. 671 and crossing NH 75 to boundary of Ken river to village Khand khahrai, Bagulia to comptt. no. 682 of Chhatarpur division and Ken river to village Salaiya to comptt. boundary of 287, 286 B and 285 to Northern boundary of comptt. no. 220.

East :- South East of comptt. no. 220 of buffer zone to comptt. no. 296, 297, 298, 299, 300, 301 (Part) of North Panna division and village Manour, Jaruapur to east boundary of Panna (Gangau) sanctuary upto 7.3 km. 250 meter periphery and boundary of comptt. no. 378 to comptt no. 221.

South :- Southern boundary of comptt. no. 221 to buffer area to comptt. no. 360 to village Mariyado and Dhula Daharia.

West :- Western boundary comptt. no. 361 of Damoh division to west boundary of comptt. 330 of Damoh Division.

Annexure- II

Map of Eco- Sensitive Zone of Panna Tiger Reserve along with latitude and longitude of Prominent Location on SoI toposheet

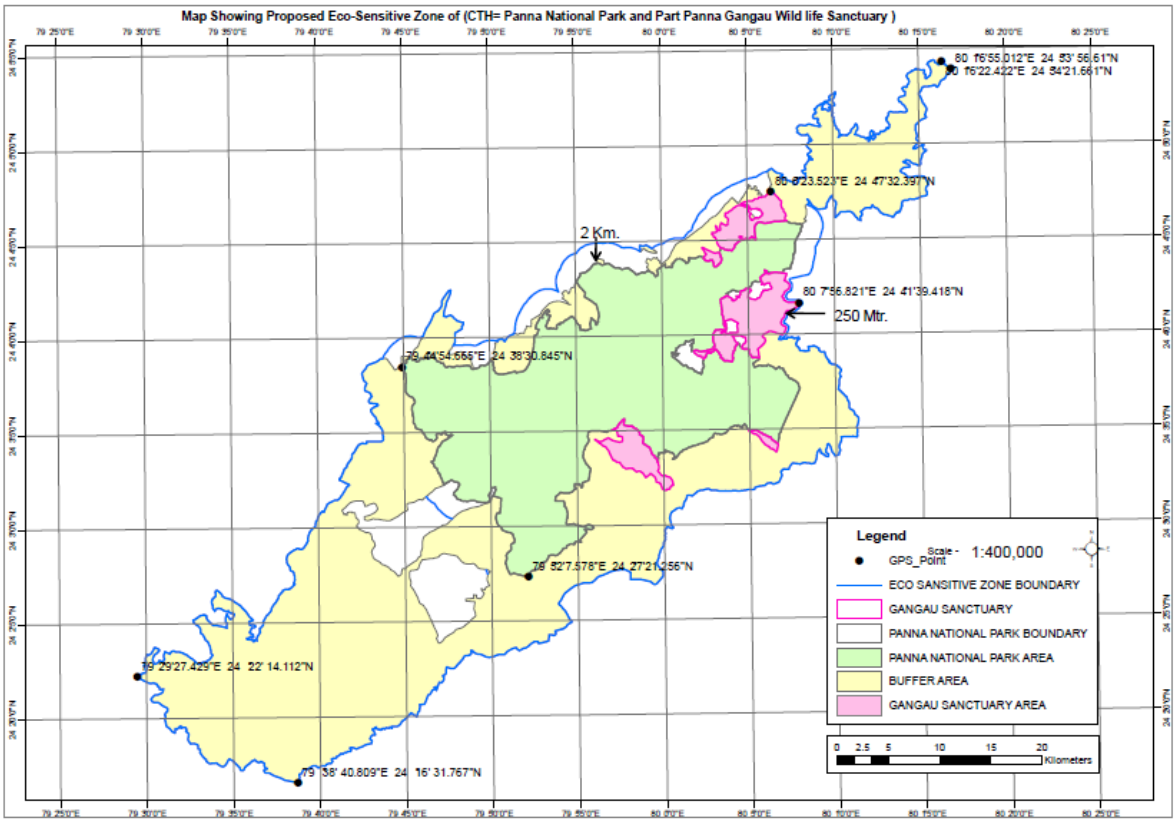

Annexure III

Table A: Latitude-Longitude of Prominent Locations along the boundary of of the Protected Area shown on Map

Division Name	Direction	Longitude	Latitude
Panna National Park / Panna (Gangau) Sanctuary	North	$80^0$06’23.523”E	$24^0$47’32.39”N
	East	$80^0$07’56.821”E	$24^0$41’39.418”N
	South	$79^0$52’7.578”E	$24^0$27’21.256”N
	West	$79^0$44’54.665”E	$24^0$38’30.845”N

Table B: Latitude-Longitude of Prominent Locations along the boundary of Eco-Sensitive Zone of the Protected Area shown on Map

Division Name	Direction	Longitude	Latitude
Panna National Park / Panna (Gangau) Sanctuary	North	$80^0$15’53.497”E	$24^0$54’23.784”N
	East	$80^0$16’54.385”E	$24^0$53’57.227”N
	South	$79^0$38’41.364”E	$24^0$16’32.970”N
	West	$79^0$20’27.361”E	$24^0$22’14.245”N

Annexure IV

LIST OF VILLAGES FALLING WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH GEO COORDINATES.

Sl. No.	Name of Division	District	Name of Village	Longitude	Latitude
1	Buffer zone	Panna	Jardhova	80^0 06' 08.992"	24^0 39' 0.461"
2	Buffer zone	Panna	Akola	80^0 08' 12.899"	24^0 37' 43.376"
3	Buffer zone	Panna	DahlanChauki	80^0 13' 17.756"	24^0 48' 12.048"
4	Buffer zone	Panna	Khajuri Kudar	80^0 11' 23.508"	24^0 47' 41.081"
5	Buffer zone	Panna	Harsa	80^0 05' 34.288"	24^0 46' 24.612"
6	Buffer zone	Panna	Bagonha	80^0 03' 32.014"	24^0 46' 09.455"
7	Buffer zone	Panna	Nahri	80^0 02' 10.001"	24^0 45' 20.812"
8	Buffer zone	Panna	Madla	80^0 01' 8.159"	24^0 44' 17.492"
9	Buffer zone	Panna	Lalar	79^0 54' 27.309"	24^0 41' 2.785"
10	Buffer zone	Panna	Tapriyan	79^0 53' 38.115"	24^0 40' 41.942"
11	Buffer zone	Panna	Rampura	80^0 04' 24.357"	24^0 35' 12.516"
12	Buffer zone	Panna	Katari Bilhata	79^0 56' 18.752"	24^0 34' 49.434"
13	Buffer zone	Panna	Kudan	80^0 0' 7.446"	24^0 33' 46.526"
14	Buffer zone	Panna	Kandwaha	80^0 03' 0.465"	24^0 34' 43.848"
15	Buffer zone	Panna	Gahadra	79^0 58' 40.226"	24^0 32' 49.642"
16	Buffer zone	Panna	Koni	79^0 55' 59.701"	24^0 33 27.06"
17	Buffer zone	Panna	Manjholi	79^0 55' 32.518"	24^0 32' 15.776"
18	Buffer zone	Panna	Marha	79^0 56' 0.625"	24^0 31' 36.274"
19	Buffer zone	Panna	Khamri	79^0 54' 44.166"	24^0 30' 54.378"
20	Buffer zone	Panna	Kakramutuwa	79^0 58' 14.563"	24^0 29' 39.318"
21	Buffer zone	Panna	Kachnari	79^0 58' 59.414"	24^0 30' 18.761"
22	Buffer zone	Panna	Chenaine	80^0 02' 10.323"	24^0 44' 49.568"
23	Buffer zone	Panna	Khad Kurai	80^0 01' 52.525"	24^0 45' 54.266"
24	Buffer zone	Panna	Rajpur	80^0 03' 11.009"	24^0 46' 32.970"
25	Buffer zone	Panna	Bugaliya	80^0 02' 53.542"	24^0 47' 05.541"
26	Buffer zone	Panna	Salaiya	80^0 05' 17.717"	24^0 48' 19.070"
27	Buffer zone	Panna	Manour	80^0 07' 35.538"	24^0 42' 55.015"
28	Buffer zone	Chhatarpur	Patan	79^0 55' 13.214"	24^0 42' 2.875"
29	Buffer zone	Chhatarpur	Barbaspura	79^0 56' 9.05"	24^0 41' 9.333"
30	Buffer zone	Chhatarpur	Baharpura	79^0 54' 25.517"	24^0 42' 55.305"
31	Buffer zone	Chhatarpur	Bhusor	79^0 51' 32.067	24^0 39' 19.139"
32	Buffer zone	Chhatarpur	Silon	79^0 49' 51.7"	24^0 39' 38.139"
33	Buffer zone	Chhatarpur	Kawar	79^0 48' 46.472"	24^0 39' 17.06"
34	Buffer zone	Chhatarpur	Karondiya	79^0 48' 1.422"	24^0 39' 305"
35	Buffer zone	Chhatarpur	Brijpura	79^0 47' 43.704"	24^0 32' 5.731"
36	Buffer zone	Chhatarpur	Sukwaha	79^0 45' 47.554"	24^0 33' 57.219"
37	Buffer zone	Chhatarpur	Naroli	79^0 49' 18.446"	24^0 31' 12.218"
38	Buffer zone	Chhatarpur	Patori	79^0 49' 45.273"	24^0 29 9.146"
39	Buffer zone	Chhatarpur	Pathapur (Kakra)	79^0 49' 24.156"	24^0 30' 27.784"
40	Buffer zone	Chhatarpur	Nagda	79^0 38' 26.47"	24^0 23' 36.004"
41	Buffer zone	Chhatarpur	Uchara	79^0 41' 31.784"	24^0 24' 23.502"
42	Buffer zone	Chhatarpur	Matipura	$79^0$40' 44.692"	24^0 26' 41.692"
43	Buffer zone	Chhatarpur	Vineka	79^0 39' 58.128"	24^0 27' 4.786"
44	Buffer zone	Chhatarpur	Raichur	79^0 41' 58.129"	24^0 26' 0.019"
45	Buffer zone	Chhatarpur	Sati Suri	79^0 42' 34.666"	24^0 25' 50702"
46	Buffer zone	Chhatarpur	Bila	79^0 44' 06.933"	24^0 26' 18.29"
47	Buffer zone	Damoh	Ghoghra	79^0 37' 1.045"	24^0 22' 1.21"
48	Buffer zone	Damoh	Kalibara	79^0 39' 52.227"	24^0 22' 48.856"
49	Buffer zone	Damoh	Juneri	79^0 37' 34.607"	24^0 21 35.655"
50	Buffer zone	Damoh	Kalkua	79^0 36' 25.297"	24^0 21 24.139"
51	Buffer zone	Damoh	Majara	79^0 37' 57.525"	24^0 22' 15.727"
52	Buffer zone	Damoh	Banoli	79^0 32' 35.617"	24^0 21' 20.24"
53	Buffer zone	Damoh	Madanpura	79^0 33' 17.661"	24^0 19' 53.908"
54	Buffer zone	Damoh	Bachhaman	79^0 34' 7.829"	24^0 21' 0.279"

55	Buffer zone	Damoh	Udaypura	79^0 35’ 35.952”	24^0 21’ 26.429”
56	North Panna	Panna	Salaiya	80^0 05’ 19.003”	24^0 45’18.937”
57	Chhatarpur	Chhatarpur	Rajgarh	79^0 57’22.196”	24^0 43’ 57.949”
58	Chhatarpur	Chhatarpur	Tapariyan	79^0 58’ 34.429”	24^0 43’ 33.033”
59	Chhatarpur	Chhatarpur	Arjunhai	79^0 58’ 54.268”	24^0 43’ 50.428”
60	Chhatarpur	Chhatarpur	Dupariya	79^0 52’ 58.040”	24^0 42’ 04.647”
61	Chhatarpur	Chhatarpur	Bhawanipura	79^0 48’ 57.322”	24^0 40’ 34.630”
62	Chhatarpur	Chhatarpur	Dongariya	79^0 43’ 37.264”	24^0 40’ 23.930”
63	Chhatarpur	Chhatarpur	Naiguwan	79^0 47’ 31.390”	24^0 31’ 15.459”
64	Chhatarpur	Chhatarpur	Majhota	79^0 51’ 35.144”	24^0 40’ 18.242”
65	Chhatarpur	Chhatarpur	Rangauan	79^0 52’ 07.236”	24^0 41’ 37.078”
66	Chhatarpur	Chhatarpur	Pipra	79^0 54’ 31.092”	24^0 44’ 0.155”
67	Chhatarpur	Chhatarpur	Awadhpura	79^0 56’ 39.796”	24^0 44’ 52.181”

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report: -

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act,1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.09.13 22:15:19 +05'30'